

श्री



बकाया निकलते है। उक्त ऋणी को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के  
दिनांक 31.12.2024 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च  
बकाया राशि 2,81,569/- (अक्षर दो लाख इक्यासी हजार पाँच सौ उनहत्तर रुपये मात्र)  
दिनांक 05.06.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणीगण के कुल  
ऋण अर्बुद की शर्तों के नियमानुसार नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उक्त खाते को  
में आम रास्ता स्थित है। अप्रार्थी/ऋणीगण ने उपलब्ध ऋण को, बैंक के साथ किये गये  
मकान, परिवहन में प्रहाराद पुत्र जन्मा का खाली बाडा, उत्तर में स्वयं का बाडा तथा दक्षिण  
जिसका कुल क्षेत्रफल 142.22 वर्गगज है एवं जिसकी सीमाएं पूर्व में बसती पत्नी गुलाब का  
42, बाक आम जलेशी आम पचायत देवडावास तहसील देवली जिला टोक में स्थित है।  
में बंधक सम्पत्ति, शक्ति सिंह के स्वामित्व व अधिपत्य की एक सम्पत्ति/भूखण्ड, पहा संख्या  
या व अप्रार्थी/ऋणियों, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण की सुविधा के एवज  
से 2,01,000/रुपये (अक्षर दो लाख एक हजार रुपये मात्र) का ऋण उपलब्ध कराया गया  
कम्पनी से ऋण खाता संख्या FINWFMLONS00005043443 से दिनांक 09.09.2022  
बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता ऋणी/सहऋणी/गारंटर है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/  
प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थीगण,  
Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

Securisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The

दिनांक 02.06.2026

आदेश

असैट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ़ सेक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002  
प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 14 सेक्युरिटी इन्टरेस्ट एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल

ऋणी/सहऋणी/जमानती

1. शक्ति सिंह सीमा निवासी आम जलेशी वार्ड नं. 2 देवडावास, टोक राजस्थान
2. रूपा देवी निवासी आम जलेशी वार्ड नं. 2 देवडावास, टोक राजस्थान
3. मनाचंद निवासी आम मौहल्ला सीमा जलेशी देवडावास, टोक राजस्थान

बनाम

बैंगलु एस्टेट, मुंबई - 400038  
...प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)  
सीएफएम एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रथम मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्पॉट रोड,

24.04.2026

45 / 2026

प्रतिदि दिनांक

प्रकरण संख्या

(पीठासीन अधिकारी टीना जर्जी, आई.ए.एस.)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट टोक

लोक  
जिला मजिस्ट्रेट

10

in his opinion, be necessary.

(1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated of found- to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him-

(a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and

(b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1) the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured

creditor in taking possession of secured asset-

(1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated of found- to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him-

(a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and

(b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1) the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

आन्तर्गत दिनांक 01.09.2025 को रजिस्टर्ड लोक नोटिस जारी किये जाने तथा समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद अभी द्वारा आप राशि मय ब्याज चुकाने में बैंक की गड़ है। अभी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक/कम्पनी को नहीं सम्मलया है। प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाल में देय राशि क पुनर्मुगलान हेतु रकन बुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक / कम्पनी को जरिये पुलिस हमदाद सम्भालने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक / कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की रिट याचिका संख्या 6256/2016 पंजवर्कमार व अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर व अन्य, में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2016 के अनुसार अभी की धारा 13 की उप धारा 2 के तहत नोटिस जारी किया जाने व तामिल के पश्चात धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः अभी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 में उक्त रकन की गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत स्पष्ट प्रार्थना है, जो इस प्रकार है।





जिला शिक्षा अधिकारी  
लाला लखन सिंह

Handwritten signature

आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

वहन किया जायगा।।

वैतनिकता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है जो संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा प्रति भिजवाई जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, टॉक को पर्याप्त पुलिस जाणा सुझाया कराने हेतु निर्णय स्वामन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वकत कानून व्यवस्था बनाये सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी संक्षम न्यायालय का पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह एस्टेस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिविल प्रोसेडर एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिविल प्रोसेडर एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिविल प्रोसेडर के पक्ष में निर्णय प्रति तहसीलदार दूनी को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी का होना।

है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त 2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के बाध्य पत्र एवं पेश दस्तावेजों के आधार पर दिये जा रहे हैं तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावे।

1. रहन श्रद्धा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्मलवाते वकत यदि नियमानुसार आक्षेप प्राप्त होता है तो सम्मलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :

पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहन श्रद्धा सम्पत्ति को प्रार्थी आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये बाध्य नियमों के अनुसार समस्त कायदाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्वामन प्राधिकृत अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के साथ इस आदेश का बाध्य पत्र पेश किया कि